पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 128/2020

1. सीताराम
2. बलवीर
3. बंशीलाल
4. प्रहलाद

पुत्रान मनीराम जाति जांगिड ब्राह्मण निवासी शिवदानपुरा त0 त0 भादरा जिला हनुमानगढ़।

:- वादीगण

ब ना म

1. मनीराम पुत्र रावता जाति जांगिड ब्राह्मण निवासी शिवदानपुरा त0 भादरा।
2. दर्शनादेवी पुत्री मनीराम जाति जांगिड ब्राह्मण निवासी शिवदानपुरा त0 भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरेन्द्र बेनिवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री विनोद शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी सावित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शिवदानपुरा के खाता सं0 136/130 के खसरा सं0 48 की 3.6170है0, खसरा सं0 51 की 2.1120है0, खसरा सं0 109 की 1.9090है0, खसरा सं0 110 की 1.7200है0, खसरा सं0 111 की 0.1520है0, खसरा सं0 170 की 1.0750है0 कुल 10.5850है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 मनीराम के नाम 1/9 हिस्सा व खाता सं0 85/86 के खसरा सं0 172 की 4.1350है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 मनीराम के नाम से 1/3 हिस्सा व खाता सं0 86/87 के खसरा सं0 61 की 0.2910है0, खसरा सं0 169 की 2.9720है0 कुल 3.2630है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 मनीराम के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में से वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 2 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादीगण सं 1 सीताराम, वादीगण सं0 2 बलवीर, वादीगण सं0 3 बंशीलाल व वादीगण सं0 4 प्रहलाद व प्रतिवादी सं0 1 मनीराम को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:08:17 IST
Reason: SelfAttested

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 128/2020

1. सीताराम
2. बलवीर
3. बंशीलाल
4. प्रहलाद

पुत्रान मनीराम जाति जांगिड ब्राहम्ण निवासी शिवदानपुरा त0 त0 भादरा जिला हनुमानगढ।

:– वादीगण

ब ना म

1. मनीराम पुत्र रावता जाति जांगिड ब्राहम्ण निवासी शिवदानपुरा त0 भादरा।
2. दर्शनादेवी पुत्री मनीराम जाति जांगिड ब्राहम्ण निवासी शिवदानपुरा त0 भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री सुरेन्द्र बेनिवाल **: वादी**
वकील श्री विनोद शर्मा **: प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक : 27-01-2021**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा शिवदानपुरा के खाता सं0 136/130 के खसरा सं0 48 की 3.6170है0, खसरा सं0 51 की 2.1.120है0, खसरा सं0 109 की 1.9090है0, खसरा सं0 110 की 1.7200है0, खसरा सं0 111 की 0.1520है0, खसरा सं0 170 की 1.0750है0 कुल 10.5850है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 मनीराम के नाम 1/9 हिस्सा व खाता सं0 85/86 के खसरा सं0 172 की 4.1350है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 मनीराम के नाम से 1/3 हिस्सा व खाता सं0 86/87 के खसरा सं0 61 की 0.2910है0, खसरा सं0 169 की 2.9720है0 कुल 3.2630है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 मनीराम के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता रावता की खातेदारी हुआ करती थी। रावता से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 मनीराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा [illegible] बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि [illegible]ता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भू[illegible] रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा [illegible] शिहाजा यही वनाए मुखास्मत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:08:17 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 ता 2 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु सीताराम पुत्र मनीराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम शिवदानपुरा प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही शिवदानपुरा के खाता सं0 85/86 प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही शिवदानपुरा खाता सं0 86/87 प्रदर्श 3, खसरा खतौनी भू प्रबंध विभाग प्रदर्श 4, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गढडा प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम शिवदानपुरा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 6 में वारिसप्रमाण पत्र में मनीराम के चार पुत्र सीताराम, बलवीर, बंशीलाल, प्रहलाद व एक पुत्री दर्शना देवी के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मौजा शिवदानपुरा के खाता सं0 136/130 के खसरा सं0 48 की 3.6170है0, खसरा सं0 51 की 2.1120है0, खसरा सं0 109 की 1.9090है0, खसरा सं0 110 की 1.7200है0, खसरा सं0 111 की 0.1520है0, खसरा सं0 170 की 1.0750है0 कुल 10.5850है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 मनीराम के नाम 1/9 हिस्सा व खाता सं0 85/86 के खसरा सं0 172 की 4.1350है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 मनीराम के नाम से 1/3 हिस्सा व खाता सं0 86/87 के खसरा सं0 61 की 0.2910है0, खसरा सं0 169 की 2.9720है0 कुल 3.2630है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 मनीराम के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में से वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादी सं 2 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शिवदानपुरा के खाता सं0 136/130 के खसरा सं0 48 की 3.6170है0, खसरा सं0 51 की 2.1120है0, खसरा सं0 109 की 1.9090है0, खसरा सं0 110 की 1.7200है0, खसरा सं0 111 की 0.1520है0, खसरा सं0 170 की 1.0750है0 कुल 10.5850है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 मनीराम के नाम 1/9 हिस्सा व खाता सं0 85/86 के खसरा सं0 172 की 4.1350है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 मनीराम के नाम से 1/3 हिस्सा व खाता सं0 86/87 के खसरा सं0 61 की 0.2910है0, खसरा सं0 169 की 2.9720है0 कुल 3.2630है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 मनीराम के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में से वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 2 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) नादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:08:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादीगण सं 1 सीताराम, वादीगण सं0 2 बलवीर, वादीगण सं0 3 वंशीलाल व वादीगण सं0 4 प्रहलाद व प्रतिवादी सं0 1 मनीराम को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27-01-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:08:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner